

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

फोन नं०. 05463-235020, फैक्स नं०-05463-235194,

वेबसाइट-www.gmcazamgarh.com

संख्या:-1084/रा०मे०का०आ०/ई०सी०-4/विज्ञप्ति/2024

दिनांक-05/09/2024

सेवायोजन विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों पर साक्षात्कार (Walk-in-interview) के माध्यम से सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के विभिन्न विभागों में एन०एम०सी०, पी०जी०-यू०जी० पाठ्यक्रम एवं रोगीहित के दृष्टिगत फैकल्टी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु साक्षात्कार (Walk-in-interview) दिनांक-11.09.2024 (बुधवार) एवं दिनांक-18.09.2024 (बुधवार) को राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है। विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या एवं लागू आरक्षण रोस्टर निम्नवत् होगा-

क्र०स०	विशिष्टता का नाम	आचार्य	श्रेणी	सह आचार्य	श्रेणी	सहायक आचार्य	श्रेणी
1	फिजियोलॉजी	01	SC	---	---	---	---
2	बायोकेमेस्ट्री	01	GEN	---	---	01	SC
3	पैथोलॉजी	01	OBC	01	SC	01	GEN
4	स्किन एण्ड बी०डी०	---	---	01	GEN	---	---
5	फॉरेंसिक मेडिसिन	01	GEN	---	---	---	---
6	कम्युनिटी मेडिसिन	---	---	01	OBC	01	OBC
7	ई०एन०टी०	---	---	---	---	01	GEN
8	टी०बी० एण्ड चैस्ट	01	SC	---	---	---	---
9	मानसिक रोग	01	GEN	---	---	---	---
10	सामान्य सर्जरी	01	OBC	01	GEN	---	---
11	आथलमोलॉजी	01	GEN	---	---	---	---
12	आब्स एण्ड गायनी	01	OBC	01	SC	---	---
13	एनेस्थीसिया	---	---	---	---	04	SC, GEN, OBC, GEN
14	रेडियोडायग्नोसिस	01	EWS	01	GEN	---	---
15	ब्लड बैंक	01	SC	01	OBC	01	OBC
16	इमरजेन्सी मेडिसिन	01	GEN	01	GEN	02	EWS, SC

नोट-पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।


05/09/24

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य, सह-आचार्य तथा सहायक आचार्य को शासनादेश संख्या-109/2024/176/71-1-2024/71-1001/804/2020 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक-18 जुलाई, 2024 के अनुसार आचार्य को ₹0 2,20,000/-, सह आचार्य को ₹0 1,60,000/- एवं सहायक आचार्य को ₹0 1,20,000/- प्रतिमाह निर्धारित मानदेय देय होगा।
2. शासनादेश संख्या-532/71-1-2020-जी-63/2008, दिनांक-10.06.2020 के प्रस्तर-2 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य-60 वर्ष, सह-आचार्य की अधिकतम आयु-64 वर्ष तथा आचार्य की अधिकतम आयु-68 वर्ष होगी।
3. एन0एम0सी0 नई दिल्ली द्वारा सहायक आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित के अनुसार होगी।
5. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष को होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालाविधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
18. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी0सी0-1 लखनऊ, दिनांक 13 अगस्त, 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
19. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
20. साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
21. नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तें कालेज की वेबसाइट www.gmcazamgarh.com एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ की वेबसाइट www.updgm.com पर प्रदर्शित है।

 05/09/24

प्रधानाचार्य,

राजकीय मेडिकल कालेज,

आजमगढ़।

संख्या- /रा0मे0का0आ0/ई0री0-4/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2-महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- 3-वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
- 4-प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानुपर/मेरठ/आगरा/झॉसी/गोरखपुर/प्रयागराज/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/बौदा/जालौन/सहारनपुर एवं बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
- 5-प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
- 6-समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
- 7-राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।